

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०-पि०व०/क्षे०स्था०-15-11/2018 (खंड-1)-

पटना, दिनांक-

कार्यालय आदेश

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, कटिहार से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-220 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०-9889, दिनांक-01.12.2015 में निहित प्रावधान के आलोक में श्रीमती कृष्णा कुमारी, प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा-6 से 8), विषय-गणित एवं विज्ञान, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, कटिहार के द्वितीय संतान हेतु दिनांक-19.04.2026 से 15.10.2026 तक कुल-180 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(गोपाल प्रसाद)
उप निदेशक।

ज्ञापांक- पि०व०/क्षे०स्था०-15-11/2018 -

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, कटिहार/कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. श्रीमती कृष्णा कुमारी, प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा-6 से 8), अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक।

ज्ञापांक- पि०व०/क्षे०स्था०-15-11/2018 -

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप निदेशक
Signed By Gopal Prasad
Date: 13-04-2026 14:19:13